



न्यायालय उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद संख्या-118/2023

नन्कु महतो

बनाम्

पति यादव

आदेश

प्रस्तुत वाद की प्रक्रिया अपीलार्थी नन्कु महतो पिता-स्व0 बिफन महतो, निवासी सा0+पो0-सरईडीह, थाना-बरवाडीह, जिला-लातेहार द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता, लातेहार के दाखिल खारिज अपील वाद संख्या-17/2020-21, में दिनांक-09.05.2023 को पारित आदेश के विरुद्ध दाखिल आवेदन के आलोक में प्रारम्भ किया गया तथा दोनों पक्षों को स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

नोटिस प्राप्ति के पश्चात् दोनों पक्ष अपने-अपने अधिवक्ता के माध्यम से इस वाद में उपस्थित हुए तथा द्वितीय पक्ष द्वारा अपने दावे के समर्थन में लिखित प्रतिउत्तर दाखिल किया गया।

प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि यह पुनर्विचार याचिका भूमि सुधार उप समाहर्ता, लातेहार के दाखिल खारिज अपील वाद संख्या-17/2020-21 में दिनांक-09.05.2023 को पारित आदेश के विरुद्ध दाखिल किया गया है। भूमि सुधार उप समाहर्ता, लातेहार द्वारा बिना किसी अधिकार के गलत तथ्यों के आधार पर आवेदक के नाम से खाता संख्या-135, प्लॉट संख्या-316, रकबा-0.14 एकड़ भूमि का लम्बे समय से कायम जमाबंदी को रद्द किया गया है, जो सरासर अवैध एवं गैरकानूनी है। मौजा-सरईडीह, थाना संख्या-9, थाना-बरवाडीह, जिला-लातेहार अवस्थित भूमि

45
X
16/6/23

जिसका गत सर्वे खाता संख्या-187 प्लॉट संख्या-124 रकबा- $2.33\frac{1}{4}$ एकड़ का हाल सर्वे खाता संख्या-135 प्लॉट संख्या- 310, 316, 331 एवं 341, रकबा- $2.26\frac{1}{3}$ एकड़ बना है। उक्त भूमि को आवेदक दो निबंधित केवाला क्रमशः 2475 दिनांक-30.03.1987 विक्रेता भोला साव पिता स्व० राम नेवाज साव निवासी सा०-सरईडीह, थाना-बरवाडीह, जिला-लातेहार एवं निबंधित केवाला संख्या-3980 दिनांक-11.04.1991 विक्रेता दसई साव पे०-स्व० राम नेवाज साव वो टुनू साव वो बिजुल साव पे०-स्व० राम औतार साव वो जमुना साव वो हरि साव पे०-स्व० शिव साव से क्रय किया है। आवेदक अपने क्रय भूमि का दाखिल खारिज के लिए अंचल अधिकारी, बरवाडीह के समक्ष आवेदन दाखिल किया। अंचल अधिकारी, बरवाडीह ने जांच में भूमि पर आवेदक का दखल कब्जा पाये जाने एवं राजस्व कागजातों को सही पाकर नामान्तरण वाद संख्या-159/1994-95 से उक्त भूमि का नामान्तरण आवेदक के पक्ष में स्वीकृति प्रदान किया गया। नामान्तरण स्वीकृति के बाद से आवेदक द्वारा लगातार सरकार को लगान राशि का भुगतान कर लगान रसीद प्राप्त करने लगा। आवेदक खरीदगी के समय से ही उक्त भूमि के दखल-कब्जा एवं अपने हक-अधिकार पर कायम है, जिस पर आवेदक घर बनाकर सपरिवार निवास करते चले आ रहे हैं। लातेहार जिला में हाल सर्वे लागू होने के बाद से सभी राजस्व कार्य हाल सर्वे के अनुसार किया जा रहा है। इसलिए आवेदक की भूमि को अंचल अधिकारी, बरवाडीह के द्वारा विविध वाद संख्या-16/2020-21 के माध्यम से ऑनलाईन रसीद निर्गत किया जाने लगा। अंचल अधिकारी, बरवाडीह के उक्त आदेश के विरुद्ध प्रतिवादी के द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद संख्या-17/2020-21 दायर किया गया। भूमि सुधार उप समाहर्ता, लातेहार द्वारा बिना किसी अधिकार के गलत तथ्यों के आधार पर आवेदक के नाम से लम्बे समय से चल रहे

45/11/20

जमाबंदी को रद्द कर दिया गया।

प्रतिवादी ने निबंधित केवाला संख्या-1005 दिनांक-10.07.2020 से खाता संख्या-135, प्लॉट संख्या-316, रकबा-0.14 ए0 भूमि विक्रेता रामनरेश प्रसाद वगैरह से खरीद किया गया है, जबकि विक्रेता रामनरेश प्रसाद वगैरह भूमि बेचने का कोई अधिकार ही नहीं है। क्योंकि उस जमीन को उनके पूर्वज द्वारा पहले ही आवेदक के साथ विक्री कर दिया गया है। आवेदक का केवाला वर्ष 1987 एवं 1991 के रहने के बावजूद भी भूमि सुधार उप समाहर्ता, लातेहार द्वारा प्रतिवादी के वर्ष 2020 केवाला के आधार पर सारे तथ्यों को किनारे रखते हुए आवेदक के जमाबंदी रद्द कर दिया गया।

माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा यह फैसला दिया गया है कि लम्बे समय से चले आ रहे हैं डिमाण्ड को बिना व्यवहार न्यायालय के आदेश के रद्द नहीं किया जा सकता है।

माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के दूसरे फैसला में साफ कहा गया है कि भूमि सुधार उप समाहर्ता को डिमाण्ड खारिज या रद्द करने का कोई अधिकार नहीं है।

इस प्रकार भूमि सुधार उप समाहर्ता, लातेहार ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आवेदक के डिमाण्ड को रद्द करने का आदेश पारित किया गया है, जो न्यायसंगत नहीं है। उक्त आलोक में भूमि सुधार उप समाहर्ता, लातेहार द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद संख्या-17/2020-21 में पारित आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

विपक्षी के अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक द्वारा दाखिल वाद काल बाधित है तथा चलने योग्य नहीं है। आवेदक द्वारा दाखिल वाद ग्राम-सरईडीह, थाना-बरवाडीह, जिला-लातेहार के खाता संख्या-135 प्लॉट संख्या-316 रकबा-0.14 एकड़ भूमि से संबंधित है। आवेदक ने गलत ढंग से भूमि पर दावा पेश कर यह वाद दाखिल

GS
11/11

किया गया है। हाल सर्वे खाता संख्या-135 प्लॉट संख्या-316 एवं अन्य प्लॉट जिसका गत सर्वे खाता संख्या-187 प्लॉट संख्या-124 रकबा-6.00 एकड़ है। गत सर्वे प्लॉट सं०-124 से हाल सर्वे प्लॉट संख्या-318,341,346,319,331,342,310,316 एवं 305 बना है, जिसका हाल सर्वे खतियान जमुना साह वगैरह के नाम से प्रकाशित है। भूमि के हिस्सेदार दुनु साव वगैरह ने गत सर्वे खाता संख्या-187 प्लॉट संख्या-124 रकबा-0.50 एकड़ भूमि नन्हकु महतो के पास पूर्व में ही बेच दिया था। इसके बाद दूसरे हिस्सेदार भोला साव ने इसी खाता प्लॉट में से रकबा- $0.33\frac{1}{4}$ एकड़ भूमि नन्हकु महतो के पास बिक्री किया, जिसका चौहदी उ०-निज खरीदार, दक्षिण-निज विक्रेता, पुरब-रास्ता, पश्चिम-निज विक्रेता दर्ज किया गया। दुनु साव वगैरह जो भूमि नन्हकु महतो के पास बेचा था। उसी भूमि के दक्षिण में भोला साव ने भूमि बेचा था। इसलिए भूमि के चौहदी में उत्तर में निज खरीदार दिखाया गया था। दक्षिण में विक्रेता का भूमि बच गया। केवाला में भूमि की प्रकृति टांड दिखाया गया है। बाद में दसई साव वगैरह द्वारा गत सर्वे खाता सं०-187 प्लॉट संख्या-124 में रकबा-2.00 एकड़ भूमि नन्हकु महतो के पास बिक्री किया गया, जिसमें हाल सर्वे प्लॉट संख्या-341, 331 एवं 310 चौहदी उत्तर-सुकाई महतो दक्षिण-निज विक्रेता वो विश्वनाथ साव, पूरब-नरायण सिंह वगैरह तथा पश्चिम-अमीर चन्द साव वगैरह दर्ज किया गया।

नन्हकु महतो द्वारा पहला केवाला से क्रय भूमि का हाल सर्वे प्लॉट संख्या-343, 345 एवं दूसरे केवाला की भूमि का हाल सर्वे प्लॉट संख्या-341 तथा तीसरा केवाला की भूमि का हाल सर्वे प्लॉट 341, 331 एवं 310 बना।

प्रतिवादी द्वारा प्लॉट संख्या-316 एवं 318 में क्रमशः रकबा-0.14 एकड़ एवं रकबा-0.26 एकड़ भूमि क्रय किया गया है, जो हाल

42/16/10

सर्वे प्लॉट संख्या-310 एवं 331 से सटे दक्षिण में है तथा उसी भूमि पर दखल-कब्जा में है। इस भूमि से आवेदक को कोई वास्ता सरोकार नहीं है। यह वाद हाल सर्वे प्लॉट संख्या-316 पर लाया गया है, जो धान खेत है। उक्त भूमि को विपक्षी द्वारा क्रय किया गया है, जिसका केवाला में भी भूमि की प्रकृति धान खेत दर्ज है तथा आवेदक के केवाला में टांड दर्ज है। आवेदक एवं विपक्षी के द्वारा क्रय भूमि का मिलान करने से स्पष्ट है कि आवेदक एवं विपक्षी का अलग-अलग जमीन है। विपक्षी द्वारा क्रय भूमि से आवेदक को कोई वास्ता सरोकार नहीं है। अंचल अमीन, बरवाडीह के द्वारा आवेदक एवं विपक्षी के केवाला में दर्ज खाता, प्लॉट एवं चौहदी की भूमि का मापी कर अलग-अलग स्थापित कर दिया गया था। उसी मापी के अनुसार दोनों के पक्ष अलग-अलग भूमि पर दखल-कब्जा में है। आवेदक विपक्षी के भूमि को हड़पने के नियत से गलत ढंग से दावा कर रहे हैं। उक्त आलोक में आवेदक के आवेदन को अस्वीकृत करने का अनुरोध किया गया।

दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना एवं स्मरण में रखा। अभिलेख के साथ संलग्न दस्तावेज एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख का अवलोकनोपरान्त निम्न तथ्य प्रकाश में आया।

1. आवेदक द्वारा निबंधित केवाला सं०-2475 दिनांक-30.03.1987 विक्रेता भोला साव पिता स्व० राम नेवाज साव निवासी सा०-सरईडीह, थाना-बरवाडीह, जिला-लातेहार से मौजा-सरईडीह के गत सर्वे खाता सं०-187 प्लॉट सं०-124 रकबा- $0.33\frac{1}{4}$ एकड़ क्रय किया गया है, जिसका चौहदी उत्तर में नीज खरीददार, दक्षिण में नीज विक्रेता, पूरब में रास्ता एवं पश्चिम में नीज विक्रेता दर्ज है।
2. आवेदक द्वारा प्रस्तुत दूसरा निबंधित केवाला संख्या-3980

98
16/6

दिनांक-11.04.1991 विक्रेता दसई साव पे0-स्व0 राम नेवाज साव वो टुनू साव वो बिजुल साव पे0-स्व0 राम औतार साव वो जमुना साव वो हरि साव पे0-स्व0 शिव साव निवासी सा0-सरईडीह, थाना-बरवाडीह, जिला-लातेहार से मौजा-सरईडीह के गत सर्वे खाता सं0-187 प्लॉट सं0-124 रकबा-2.00 एकड़ क्रय किया गया है, जिसका चौहदी उत्तर में सुकाई महतो, दक्षिण में नीज विक्रेता, पूरब में नारायण सिंह वगैरह एवं पश्चिम में अमीरचन्द साव वगैरह दर्ज है।

3. प्रतिवादी द्वारा निबंधित केवाला संख्या-1005 दिनांक-10.07.2020 विक्रेता गंगा प्रसाद वो राम नरेश प्रसाद दोनों के पिता स्व0 दसई साव उर्फ दसई साह वो भगवान साव वो कृष्णा प्रसाद दोनों के पिता स्व0 जनक देव साव वो नन्दा कुँवर पति-स्व0 बैजनाथ प्रसाद सभी निवासी सा0-सरईडीह, थाना-बरवाडीह, जिला-लातेहार से मौजा-सरईडीह से क्रय भूमि खाता सं0-135 प्लॉट सं0-316 रकबा-0.14 एकड़ का चौहदी उत्तर में नीज विक्रेता, दक्षिण में पति यादव, पूरब में बांध एवं पश्चिम में पति यादव तथा प्लॉट सं0-318 रकबा- 0.36 एकड़ का चौहदी उत्तर में नन्कु महतो, दक्षिण में नीज विक्रेता, पूरब में गिरवर सिंह एवं पश्चिम में नन्कु महतो दर्ज है।

4. इस प्रकार दोनों पक्षकारों द्वारा क्रय भूमि का चौहदी अलग-अलग प्रतीत होता है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर भूमि सुधार उप समाहर्ता, लातेहार द्वारा विविध अपील वाद संख्या-17/2020-21 में दिनांक-09.05.2023 को पारित आदेश को यथावत बहाल रखते हुए अपीलार्थी

65
16/10

के अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

आदेश की प्रति उभय पक्ष, अंचल अधिकारी, बरवाडीह तथा भूमि सुधार उप समाहर्ता, लातेहार को भेजें। अभिलेख को जिला अभिलेखागार में जमा करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।


उपायुक्त, लातेहार।


उपायुक्त, लातेहार।